(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 04 सितम्बर, 2014

संकल्प

सं.7(2)/ई-कोऑर्ड/2014- सरकार ने व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

अध्यक्ष (अंशकालिक)	-	डॉ. बिमल जालान, प्रख्यात अर्थशास्त्री/ लोक नीति विशेषज्ञ
सदस्य (पूर्णकालिक)	-	श्री सुमित बोस, पूर्व केन्द्रीय वित्त सचिव
सदस्य (अंशकालिक)	-	डॉ. सुबीर गोकर्ण, अर्थशास्त्री/लोक वित्त विशेषज्ञ
पदेन सदस्य	-	अपर सचिव (व्यय)
सदस्य-सचिव (पूर्णकालिक)	-	(अलग से अधिसूचित किया जाना है)

व्यय प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केन्द्रीय केबिनेट मंत्री का होगा।

2. व्यय प्रबंधन आयोग के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे:

(i) केन्द्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करने और राजकोषीय अनुशासन के प्रति वचनबद्धता से समझौता किए बगैर विकास संबंधी व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय स्थल तैयार करने के तरीके सुझाना;

(ii) पूर्ण राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए बजट प्रक्रिया और एफआरबीएम नियमों सहित संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करना और उनमें सुधार के सुझाव देना;

(iii) पूंजीगत व्यय पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ विद्यमान व्यय वर्गीकरण प्रणाली में आबंटन संबंधी दक्षताओं में सुधार के उपाय सुझाना;

(iv) उपयोग, लक्ष्य और परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करके व्यय की प्रचालन संबंधी दक्षता में सुधार की रूपरेखा तैयार करना;

(v) प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से सेवाओं पर व्यय के उचित भाग को पूरा करने के लिए एक कारगर रणनीति सुझाना;

(vi) बेहतर नकद प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय लागतों में कटौती के उपाय सुझाना;

(vii) व्यय प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का अधिकाधिक प्रयोग सुझाना;

(viii) लेखांकन, बजट प्रक्रिया आदि के संदर्भ में बेहतर वित्तीय सूचना प्रणाली सुझाना; और

(ix) केन्द्र सरकार में लोक व्यय प्रबंधन से संबंधित किसी अन्य संगत मामले पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें देना।

3. यह आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगा और किसी विशेष प्रयोजन के लिए यथा-आवश्यक ऐसे सलाहकार, संस्थागत परामर्शदाता और विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। यह ऐसी सूचना मांग सकता है और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जो वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग, आयोग द्वारा यथा-अपेक्षित ऐसी सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और ऐसी सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार विश्वास करती है कि राज्य सरकारें और अन्य संबंधित पक्ष आयोग को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. यह आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2015-16 के बजट से पहले और अपनी अंतिम रिपोर्ट 2016-17 के बजट से पहले प्रस्तुत करेगा।

रतन पी वातल

(रतन पी. वातल)
सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र (असाधारण भाग-I, खंड-I) में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को पहुंचाई जाए।

रतन पी वातल

(रतन पी. वातल)
सचिव, भारत सरकार